

21.07.25

बाबमेर

पत्रावली पेश हुई। ~~कृषि विभाग~~ उभयपक्षों के बीच बहस-बाहस के प्रकृत रिपोर्ट करने का निर्देश किया। उभयपक्षों की बहसों में लंबे हुए प्रकृत रिपोर्ट करने की वजह से व्यापक में उभयपक्षों की बहसों के मुलाखत तभी ही समाप्त की जाकर प्रकृत रिपोर्ट किया जाता है। तभी ही न्यायिक निर्णय 31.08.2020 को निर्दिष्ट किया जाता है। तभी ही न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों के सुनवाई का लक्ष्यित प्रकृत रिपोर्ट प्रकृत रिपोर्ट पर निर्णय पारित करें। उभयपक्ष तभी ही न्यायालय के लक्ष्य दिनांक 21.8.25 को उपस्थित हो पत्रावली के माध्यम से न्याय के फलदायक दायित्व प्रकृत रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया।

(रुपय)

21/07/2025  
 (नवनीत कुमार)  
 राजस्व अपील प्राधिकारी